



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना	-	1
2. अध्याय - 1 - दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति	-	2
3. अध्याय - 2 - अवस्थापना सुविधाओं का विकास	-	3
4. अध्याय - 3 - औद्योगिक वातावरण में सुधार	-	11
5. अध्याय - 4 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	17
6. अध्याय - 5 - वित्तीय अनुदान एवं छूट	-	20
7. अध्याय - 6 - दक्षता एवं क्षमता विकास	-	25
8. अध्याय - 7 - प्राथमिकता क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु विशेष नीतियाँ	-	27
9. संलग्नक - क्षेत्रवार मण्डलों का विवरण	-	31

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012

प्रस्तावना

किसी भी प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि विकास का आर्थिक तथा सामाजिक लाभ उस प्रदेश के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे। प्रदेश सरकार की नीतियाँ एवं योजनायें ऐसी हो जिससे प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार आए तथा उनके आपसी सामन्जस्य एवं मान-मर्यादा में वृद्धि हो। इसी सिद्धान्त पर प्रदेश सरकार एक ऐसे वातावरण के सृजन का प्रयास करेगी जो अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के साथ-साथ व्यवसाय एवं समृद्धता को आगे बढ़ाये।

प्रदेश के विकास में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास एक महत्वपूर्ण कुंजी है। अतः प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योगपरक एवं विकासपरक वातावरण सृजित करने के लिए प्रदेश सरकार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में सम्मिलित करेगी और औद्योगिक निवेश के साथ-साथ परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनायेगी।

प्रदेश की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 10 प्रतिशत औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बनाये रखने के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, अवस्थापना एवं सेवा क्षेत्र में वृहद स्तर पर निवेश कराये जाने होंगे। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में रखे गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य में औद्योगिक विकास को द्रुतगामी गति प्रदान करनी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य के औद्योगिक वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए बृहत्तर सुधार प्रस्तुत किये जाए।

उत्तर प्रदेश अपने भीतर समाहित 20 करोड़ जनशक्ति की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण राज्य है साथ-ही-साथ यह देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। ऐसे बृहद राज्य का समेकित विकास राष्ट्र के विकास के लिये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः इसके आर्थिक विकास तथा परिणामिक क्रय-शक्ति के विकास का लाभ पूरे देश के औद्योगिक इकाइयों को भी होता है।

भारत के अधिकांश अन्य राज्यों की भाँति उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है। कृषि प्रदेश के 70 प्रतिशत कर्मकारों को रोजगार प्रदान करती है एवं इसका राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत योगदान है। अनेक कृषि उत्पाद एवं कच्चे माल के उत्पादन में यह देश का अग्रणी राज्य है। उद्योगों के उपयोग के लिए प्रदेश में भूमि और जल जैसे मूल संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता है। प्रदेश में खनिज, पशुधन, दक्ष एवं सामान्य श्रेणी के मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सम्पूर्ण राज्य में सड़कों तथा रेल-मार्गों का व्यापक एवं विस्तृत जाल बिछा हुआ है तथा विभिन्न स्थानों पर हवाई परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

यह स्थापित सिद्धान्त है कि अग्रतर विकास के लिए, अर्थव्यवस्था में कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) से उद्योग (द्वितीय क्षेत्र) व इसके बाद उद्योग से सेवा-सृजन (तृतीय क्षेत्र) की ओर संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है। अतः किसी भी विकासोन्मुखी राज्य की नीति उद्योगों के साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं को प्रोत्साहित करने वाली एवं रोजगारपरक होनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से नवीन नीति में अवस्थापना एवं उद्योग दोनों में पूँजी निवेश हो, इस पर विशेष बल दिया गया है।

अध्याय - 1 - दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति

1.1. दृष्टिकोण

उत्तर प्रदेश को पूँजी निवेश हेतु शीर्ष प्राथमिकता वाले गन्तव्य के रूप में स्थापित करते हुए, निवेशको को आकर्षित करना, आर्थिक विकास दर को गति प्रदान करना तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन करते हुए जनसामान्य के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना।

1.2. उद्देश्य

नई औद्योगिक नीति में 12वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति किया जाना प्रस्तावित है:-

- प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष 11.2 प्रतिशत औद्योगिक विकास दर प्राप्त करना।
- प्रदेश के औद्योगिक विकास को द्रुतगति प्रदान करना।
- प्रदेश में पूँजी निवेश आकर्षित करने के लिए सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक वातावरण एवं उच्चकोटि की अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना।
- प्रदेश में पूर्व से विकसित औद्योगिक क्षमता को और अधिक सशक्त करना।
- समस्त आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना।
- राज्य के क्षेत्रवार औद्योगिक असंतुलन को दूर करते हुए सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूँजी-निवेश का लाभ पहुँचाना।
- प्रदेश में उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में गुणात्मक वृद्धि करना।

1.3. रणनीति

- अवस्थापना सुविधाओं का विकास
- औद्योगिक वातावरण में सुधार
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) को प्रोत्साहन
- पूँजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट
- मानव शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दक्षता एवं क्षमता विकास
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु विशेष नीतियों का निर्धारण

1.4. नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

- सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक शासनादेश एवं नियमावली निर्गत करते हुए समयवद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उच्च स्तरीय समिति गठित कर नीति के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

अध्याय - 2 - अवस्थापना सुविधाओं का विकास

प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु गुणवत्तापरक उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाओं का होना नितान्त आवश्यक है। उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होने के फलस्वरूप उद्योगों को कम लागत में, बिना किसी अवरोध के स्थापित एवं संचालित किया जा सकता है। यह सुविधाएं व्यवसाय एवं उद्योग की वृद्धि में सहायक होगी, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी, तथा प्रदेश में देश-विदेश से पूंजी निवेश को आकर्षित करने में, रोजगार के सृजन में व सामाजिक ढाँचों के विकास में सहायक सिद्ध होंगी। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

2.1. भूमि की उपलब्धता

उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है। उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकार द्वारा अपनी शीर्ष प्राथमिकता में रखा है। भूमि उपलब्ध कराने हेतु निम्न कार्ययोजना प्रस्तावित है :-

- 2.1.1. प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक आस्थानों तथा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ-साथ अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा उनके क्षेत्रों में बंजर, असिंचित एवं शासन के विभागों व निगमों के निष्प्रयोज्य भूमि का चिन्हांकन करके अपने भूमि बैंक का सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण किया जायेगा। यथासम्भव बन्द पड़े उद्योगों की भूमि को भी भूमि बैंक हेतु प्रयुक्त किया जायेगा। प्रदेश में औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु समस्त औद्योगिक प्राधिकरणों, संस्थाओं, एवं उद्योग निदेशालय द्वारा भूमि उपलब्धता के आँकड़ों को व्यवस्थित कर ई-गवर्नेन्स के माध्यम से निवेशकों को उसकी सूचना उपलब्ध कराई जायेगी।
- 2.1.2. प्रदेश के उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एवं सम्बन्धित औद्योगिक संस्थाओं द्वारा तहसील स्तर तक भूमि का चिन्हांकन करते हुए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की मांग के अनुसार मिनी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेगे।
- 2.1.3. प्रदेश में विकसित किये जा रहे एक्सप्रेस वेज तथा सुदृढ किये जा रहे राजकीय राजमार्गों के निकट इण्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप स्थापित किये जाने की विशेष नीति बनाई जायेगी।
- 2.1.4. उद्योगों के लिए किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के समस्त चरणों को समयवद्ध ढंग से पूर्ण कराया जायेगा ताकि औद्योगिक परियोजनाएं समय से स्थापित करायी जा सकें। औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का पुनर्ग्रहण प्राथमिकता पर किया जायेगा।
- 2.1.5. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों की भूमि आवंटन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जायेगा।
- 2.1.6. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उद्योग निदेशालय एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक आस्थानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों की अनुरक्षण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करते हुए और अधिक प्रभावी व्यवस्था लागू करायी जायेगी।

- 2.1.7.** उद्योगों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक आस्थानों का विकास निजी क्षेत्र में भी कराया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों के विकास हेतु सुविधाप्रदाता का कार्य किया जायेगा। निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र व औद्योगिक आस्थान के लिए विकासकर्ता को भूमि के क्रय करने के उपरान्त 3 वर्ष की समयावधि में विकास कर लेने तथा औद्योगिक क्षेत्र व औद्योगिक आस्थान में न्यूनतम 50 प्रतिशत भूमि की बिक्री हो जाने की दशा में स्टैम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2.1.8.** ऐसी औद्योगिक इकाइयों जोकि उत्पादनरत है तथा 5 वर्ष के उपरान्त वे अपनी उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को किसी औद्योगिक प्रयोजन हेतु अन्य कंपनी या संस्था को हस्तान्तरित करना चाहती है जिसमें उनकी न्यूनतम 51 प्रतिशत की सहभागिता हो, को भूमि हस्तान्तरण शुल्क, सब-डिवीजन चार्ज एवं लैवी चार्ज से मुक्त रखा जायेगा जिससे कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- 2.1.9.** यदि किसी पेरेंट कंपनी द्वारा अपनी सबसीडरी कंपनी, जिसमें पेरेंट कंपनी न्यूनतम 51 प्रतिशत की अंशधारक हो, को भूमि हस्तांतरित की जाती है तो अन्तरण पर सबसीडरी कम्पनी को इस शर्त पर स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी कि सबसीडरी कंपनी द्वारा तीन वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाए।

2.2. सड़क परिवहन

किसी भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु उच्चकोटि की सड़कों एवं संपर्क मार्गों का होना नितान्त आवश्यक है। अतः इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा आधारभूत ढाँचे के विकास हेतु सभी क्षेत्रों को आपस में राजकीय राजमार्ग व अन्य मार्गों से जोड़ने की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तावित है।

- 2.2.1.** यातायात एवं परिवहन के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 2.2.2.** समस्त जनपद मुख्यालयों को आपस में 4 लेन सड़क मार्गों से जोड़ा जायेगा।
- 2.2.3.** यातायात के बढ़ते दबाव के दृष्टिगत राजकीय राजमार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- 2.2.4.** तीव्रगति परिवहन सुविधा विकसित करने हेतु विश्वस्तरीय मानकों के अनुसार एक्सप्रेस-वेज का निर्माण सार्वजनिक निजी क्षेत्र सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से कराया जायेगा।
- 2.2.5.** बड़े औद्योगिक शहरों में ईको फ्रेण्डली मेट्रो या रैपिड मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम चालू कराये जायेंगे।

2.3. रेल परिवहन

- 2.3.1.** औद्योगीकरण हेतु रेल संपर्क का होना अति-आवश्यक है जिससे उद्योगों को सुगम व सस्ता परिवहन उपलब्ध हो सके। बंदरगाहों के द्वारा किये जाने वाली निर्यात वस्तुओं के लिए इसका महत्व और भी अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजना वर्ष 2007 में जापान के आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग से प्रारम्भ की गयी है। यह परियोजना

देश की राजधानी दिल्ली से मुंबई तक प्रस्तावित है। इस परियोजना से देश के 6 राज्य यथा-उत्तर प्रदेश-दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान-गुजरात एवं महाराष्ट्र आच्छादित होंगे। परियोजना प्रदेश के जनपद-गाजियाबाद के दादरी नामक स्थान से प्रारम्भ होकर मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जायेगी। इस कारीडोर के दोनो तरफ लगभग 250 किमी तक के क्षेत्र में विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र, परिक्षेत्र विकसित किये जायेगे जिससे कि आयात एवं निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

उपरोक्त कारीडोर के प्रथम चरण में प्रदेश के दादरी-नोएडा-गाजियाबाद को इनवेस्टमेंट रीजन एवं मेरठ-मुजफ्फरनगर को इंजीनियरिंग व मैनुफैक्चरिंग औद्योगिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इस परियोजना से प्रदेश के औद्योगीकरण की अपार संभावनायें विकसित होगी।

कुल 1483 किमी लम्बाई की दिल्ली मुम्बई इन्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना में प्रदेश के 12 जनपदों का लगभग 36000 वर्ग किमी का विस्तृत एरिया आच्छादित होगा। इस क्षेत्र के विकास हेतु जनपद-गौतमवुद्ध नगर स्थित बोडाकी रेलवे स्टेशन तथा मल्ली मॉडल लॉजिस्टिक हब, अरली वर्ड परियोजनाओं के अंतर्गत चिन्हित किये जा चुके हैं। इसके साथ ही उद्योगों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों का विकास निजी क्षेत्र में भी कराये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.3.2. ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जिसकी कुल लम्बाई 1839 किमी. में से 1011 किमी (लगभग 55 प्रतिशत) रेल मार्ग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए गुजरेगा। इस परियोजना के शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु दिये जाने वाले आवश्यक सहयोग के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इस परियोजना का पूर्ण लाभ उठाने के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर के दोनों ओर उपयुक्त स्थानों को चिन्हित करते हुए लॉजिस्टिक हब एवं इनवेस्टमेंट क्षेत्रों का विकास किया जायेगा।

2.3.3. केन्द्र सरकार की उपरोक्त दोनो परियोजनाओं का संगम स्थल प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के दादरी नामक स्थान पर होगा जोकि प्रदेश के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। इस अवसर का प्रदेश के औद्योगिक विकास को अधिकाधिक लाभ दिलाने हेतु प्रदेश सरकार इन परियोजनाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त सहयोग तत्परता से करेगी।

2.4. वायु परिवहन

प्रदेश के औद्योगिक एवं पर्यटन के विकास के दृष्टिकोण से वायु परिवहन सेवाओं का सुदृढीकरण करते हुए विकास किया जायेगा।

2.4.1. दिल्ली-मुंबई इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर की परिधि में आगरा के निकट एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा विकसित किया जायेगा जिसमें ड्राई कार्गो की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के साथ ही एयर क्राफ्ट मेन्टीनेन्स हब भी विकसित किया जायेगा।

2.4.2. प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने तथा देशी व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कुशीनगर में भी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा पी.पी.पी. माडल पर विकसित किया जायेगा।

2.5. गैस पाइप लाइन

राज्य के औद्योगिक विकास के लिए, प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में एवं स्वच्छ ऊर्जा के रूप में प्राप्त करने के लिए राज्य में गैस ग्रिड को विकसित किया जायेगा तथा राज्य के औद्योगिक एवं घरेलू क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की माँग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

वर्तमान में प्रचालित गैस पाइप लाइन से अधिकाधिक गैस उपलब्ध कराकर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। देश के पूर्वी किनारे से प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइप लाइन का जाल बिछाने के सम्बन्ध में गैल एवं अन्य तेल कंपनियों से समन्वय स्थापित करते हुए मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित कर गैस ग्रिड के नक्शे पर लाया जायेगा। यह प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश के अधिकाधिक क्षेत्रों में पाइप से गैस की सुविधा, विशेष रूप से उद्योगों को प्राप्त हो सके।

2.6. ऊर्जा

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विकास को शीर्ष प्राथमिकता में रखा गया है ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराते हुए प्रदेश को विद्युत बाहुल्य क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके।

2.6.1. प्रदेश की उर्जा नीति के प्राविधानों तथा समय-समय पर किये गये संशोधनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा। प्रदेश सरकार ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में सरकारी, निजी एवं सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त लघु जल-ऊर्जा एवं गैर पारम्परिक उर्जा क्षेत्र यथा सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास एवं कचड़े से विद्युत उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित होने वाले प्लाण्ट्स को उद्योग का दर्जा दिया जायेगा एवं उद्योग नीति के अंतर्गत उद्योगों को उपलब्ध होने वाले समस्त लाभ सोलर पॉवर प्लाण्ट पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। निजी क्षेत्र को सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के प्रोजेक्ट के विकास हेतु आकर्षित करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन एवं सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा जिसके लिए संबन्धित विभाग पृथक रूप से विस्तृत नीति अलग से बनाई जायेगी।

2.6.2. उद्योगों की आंशिक आपूर्ति हेतु कैप्टिव पावर जनरेशन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.6.3. राज्य सरकार के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जायेगा। 132/220 के.वी.ए. से आपूर्ति प्राप्त करने वाले उद्योगों को सभी कटौतियों से मुक्त रखा जाएगा जब तक की ग्रिड की सुरक्षा हेतु कटौती अवश्यम्भावी न हो। इसके लिये पारेषण तथा वितरण सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाओं को तदनुसार उच्चिकृत किया जाएगा।

2.6.4. 33/11 के.वी. उपकेन्द्र से निकलने वाले ऐसे फीडर जिन पर औद्योगिक भार 75 प्रतिशत से अधिक होगा, उन्हें औद्योगिक फीडर मानते हुए विद्युत कटौतियों से मुक्त रखा जाएगा। इन फीडरों पर यदि अन्य

श्रेणी के उपभोक्ता हैं तो उन्हें अलग करने की व्यवस्था की जाएगी। उद्योगों द्वारा जिन डेडिकेटेड फीडरों का निर्माण अपने व्यय पर किया गया है उन्हें किसी भी दशा में अन्य उपयोगों के लिये “टैप” नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं परिस्थितियों में यह छूट प्रदान की जाएगी जहाँ वर्तमान नियमों के अनुसार सम्बंधित उद्योग स्वयं किसी अन्य औद्योगिक इकाई के साथ पारस्परिक अनुबन्ध करके “टैपिंग” की अनुमति प्रदान करता है।

2.7. जलापूर्ति एवं जल-निकासी

औद्योगीकरण के विभिन्न घटकों में जल एक अनिवार्य घटक है। राज्य में प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता है अतः उद्योगों के माँग के अनुरूप जलापूर्ति कराये जाने एवं अपशिष्ट, जल निकास की व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ कराये जाने में निजी क्षेत्र की सहभागिता से सुनिश्चित किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। उद्योगों को जलापूर्ति प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग, औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोगित जल की रिसाईक्लिंग एवं इन्डस्ट्रियल वाटर यूज के लिए पेयजल से इतर पाईप लाईन बिछाने हेतु भू-गर्भ जल नीति के अनुसार प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके साथ ही औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में जल निकासी एवं मल व अपशिष्ट व्ययन की व्यवस्था को लागू करने के लिए औद्योगिक संगठनों अथवा उद्योगों के समूहों को इस हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से छूट उपलब्ध कराई जायेगी।

2.8. दूरसंचार (टेलिकम्यूनिकेशन)

प्रदेश में दूरसंचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। इस क्षेत्र को प्रदेश के प्राथमिकताओं में लिया गया है ताकि इसका अधिकाधिक लाभ उद्योगों के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्राप्त हो सके।

द्रुत गति से सूचनाओं एवं ऑकड़ों का आदान-प्रदान करने हेतु ब्राडबैंड, हाईस्पीड कम्यूनिकेशन एवं डाटा कनेक्टिविटी, 4-जी तथा इसी प्रकार की नवीन तकनीक की सुविधाओं के विकास हेतु सम्बन्धित एजेन्सियों को प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक सहायता त्वरित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

2.9. राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण परिक्षेत्र

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता में मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र की अधिकतम भागादारी सुनिश्चित किये जाने हेतु नेशनल मैनुफैक्चरिंग नीति निर्गत की गई है जिससे अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके तथा आर्थिक विकास दर में वृद्धि की जा सके। इस नीति के अंतर्गत नेशनल मैनुफैक्चरिंग जोन के गठन का प्राविधान किया गया है जोकि 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किये जायेंगे जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भूखण्डों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है।

नेशनल मैनुफैक्चरिंग पालिसी के अन्तर्गत नेशनल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड मैनुफैक्चरिंग जोन में केन्द्र सरकार के नीतियों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। राज्य में प्रथम चरण में पूर्वान्वल, बुंदेलखण्ड एवं मध्यांचल में एक-एक नेशनल मैनुफैक्चरिंग इन्वेस्टमेन्ट जोन की स्थापना भी कराई जायेगी। आवश्यकतानुसार इसी प्रकार के और भी परिक्षेत्र विकसित किये जाएंगे।

2.10. विशेष आर्थिक परिक्षेत्र

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बदलते परिवेश में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में प्रदेश में 23 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिसूचित किये जा चुके हैं जिसके अन्तर्गत 8 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम-2005 एवं नियमावली 2006 में संशोधन प्रस्तावित है जिसके परिप्रेक्ष्य में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की नीति को पुनरीक्षित करते हुए प्रदेश में लागू कराया जायेगा।

2.11. विशिष्ट क्षेत्र विशेष औद्योगिक पार्क

प्रदेश में क्षेत्र विशेष आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है जिनका पूर्णतः उपयोग किये जाने के आशय से क्षेत्र विशेष आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विशिष्ट क्षेत्र औद्योगिक पार्कों का विशेष महत्व है। अतएव इनकी स्थापना पर प्रदेश सरकार द्वारा बल दिया जा रहा है।

2.11.1. प्रदेश का सर्वप्रथम जैव-प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में कुर्सी रोड पर स्थापित किया गया है। इसी प्रकार अन्य जैव-प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, फार्मा पार्क एवं डेयरी फार्म की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से नीति प्रख्यापित कर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। यह सुविधायें इस नीति में प्रस्तावित सुविधाओं के अतिरिक्त होंगी।

2.11.2. गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा जनपद औरिया में उत्पादन किये जा रहे पालीमर की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के अवसर का पूर्ण लाभ उठाते हुए पालीमर के कच्चे माल पर आधारित औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु एक विस्तृत प्लास्टिक पार्क का निर्माण उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से कराया जायेगा।

2.12. सार्वजनिक निजी क्षेत्र सहभागिता (पी.पी.पी.)

अवस्थापना सुविधाओं में सुधार औद्योगिक विकास हेतु एक अनिवार्य कारक है। राज्य की सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वांछित वित्त की आवश्यकता को मात्र सरकार के बजटीय संसाधनों द्वारा पूरा किया जाना संभव नहीं है, साथ ही उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास में वृहद स्तर पर पूंजी निवेश की आवश्यकता के साथ-साथ उच्च स्तरीय गुणवत्ता तथा प्रबंधन एवं दक्षता की आवश्यकता होती है। अतएव प्रदेश में वृहद स्तर पर निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न अवस्थापकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत विश्व-स्तरीय प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क, उच्च स्तरीय क्षमता वाले पॉवर स्टेशन तथा विश्व-स्तरीय एयरपोर्ट के आने से प्रदेश का चहुँमुखी विकास संभव हो सकेगा।

2.12.1. राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। राज्य सरकार, यथासंभव, अवस्थापना सुविधाओं का विकास निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र की भागीदारी से सुनिश्चित करेगी किन्तु, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र

में निवेश संभव नहीं हो पा रहा है तो राज्य सरकार ऐसी अवस्थापना सुविधाओं को स्वयं स्थापित करेगी।

- 2.12.2.** सार्वजनिक निजी क्षेत्र सहभागिता (पीपीपी) की परियोजनाओं हेतु वॉयबिलिटी गैप फण्डिंग (वी.जी.एफ.) के अतिरिक्त एन्यूटी बेस्ड मॉडल तथा अन्य माडल को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 2.12.3.** प्रदेश सरकार वॉयबिलिटी गैप फण्डिंग (वी.जी.एफ.) स्कीम के अंतर्गत यथावश्यकता केन्द्र सरकार से परियोजना लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करायेगी एवं परियोजना को व्यवहार्य (वॉयबिल) बनाने हेतु आवश्यकतानुसार अधिकतम 20 प्रतिशत धनराशि अपने स्रोतों से भी उपलब्ध करायेगी।

2.13. संकुल विकास (क्लस्टर डेवलपमेन्ट)

क्लस्टर विकास योजना का मूल उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने का है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में इकाइयों अपनी उत्पाद क्षमता एवं गुणवत्ता में व्यापक सुधार ला सकें। राष्ट्रीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों का रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। यह योजना सार्वजनिक, निजी, सहभागिता की मंशा पर आधारित है ताकि क्लस्टरों के विकास एवं प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थियों द्वारा ही उठाई जाए। प्रदेश में अब तक 09 क्लस्टर साफ्ट इन्टरवेंशन हेतु तथा 05 क्लस्टर (कारपेट क्लस्टर भदोही, ग्लास बीड्स क्लस्टर, वाराणसी, पाटरी क्लस्टर खुर्जा, सीजर्स क्लस्टर मेरठ, तथा लेदर क्लस्टर, चौरी चौरा, गोरखपुर) हार्ड इन्टरवेंशन हेतु स्वीकृत कराये जा चुके हैं।

- 2.13.1.** प्रदेश में संकुल आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जायेगा तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से अधिकाधिक सुविधायें उद्योगों को उपलब्ध कराई जायेंगी।
- 2.13.2.** एम.एस.एम.ई. के उद्यमी संगठनों को प्रदेश में स्पेशल पर्पस व्हीकल (एस.पी.वी.) द्वारा उद्योग विशेष संकुल स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा, ताकि आधारभूत सुविधाएं जैसे सीवेंज ट्रीटमेंट प्लाण्ट, कॉमन इन्फ्रूयूएन्ट ट्रीटमेंट प्लाण्ट (अपशिष्ट उपचार प्लाण्ट, प्रदूषण शोधक संयंत्र), परीक्षण प्रयोगशालाएं आदि का विकास तीव्र गति से उद्यमियों की आवश्यकतानुसार हो सके।
- 2.13.3.** देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में प्रदेश की वृहत भागीदारी है। हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रमुख शहरों एवं कस्बों में औद्योगिक हस्तशिल्प तथा सेवा क्षेत्र के संकुल का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा तथा विभिन्न योजनाओं जैसे - एसाइड योजना, सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना, सूक्ष्म, लघु तकनीकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत अवस्थापना, विपणन, डिज़ायन एवं पैकेजिंग आदि की सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
- 2.13.4.** संकुल के विकास हेतु आवश्यक सर्वे, डायग्नोस्टिक स्टडीज, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने, कॉमन फेसिलिटी सेन्टर्स की सेवाओं का शुल्क निर्धारित करने के सिद्धान्त बनाने तथा इम्पैक्ट स्टडी आदि कार्यों के लिए उद्योग निदेशालय में एक पृथक सेल गठित किया जायेगा जो आवश्यकतानुसार निजी परामर्शदाताओं को भी अनुबन्धित कर सकेगा।

2.13.5. प्रतिस्पर्धा के युग में लघु उद्योगों को वायबल बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा आधुनिक मशीनों की स्थापना, नई तकनीक के क्रय, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, क्वालिटी प्रमाणीकरण, ब्रान्डिंग, ट्रेड मार्क एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुविधाओं हेतु सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

2.13.6. औद्योगिक संगठनों अथवा निजी विकासकर्ताओं द्वारा स्थापित किए हुए संकुल को अन्य आधारभूत सुविधा जैसे सड़क मार्ग, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति से जोड़ने के लिए सहायता प्रदान किये जाने हेतु योजना निर्धारित की जाएगी।

2.14. वाणिज्यिक संसाधन

प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि वाणिज्यिक संसाधनो यथा- अन्तर्देशीय भार परिवहन, भण्डारण, सामग्री प्रबंधन, सुरक्षा पैकेजिंग, इनवेन्ट्री नियंत्रण, आर्डर प्रौसोसिंग और मार्केटिंग, पूर्वानुमान एवं ग्राहक सेवाओं आदि का विकास मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब के रूप में किया जा सकेगा।

प्रदेश की उत्पाद वितरण एवं विपणन की सुविधाओं हेतु विशेष रूप से मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब, थोक बाजारों, ट्रान्सपोर्ट नगरों व एकीकृत ट्रान्सपोर्ट-कम-व्यापारिक केन्द्रों का विकास कराया जायेगा।

2.15. श्रमिको हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा

श्रमिको और उनके परिवार के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये स्थापित अस्पतालों को केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे मॉडल ई.एस.आई.सी. अस्पतालों के समकक्ष बनाया जायेगा।

अध्याय - 3 - औद्योगिक वातावरण में सुधार

राज्य सरकार उद्यमियों की आवश्यकताओं की प्रति संवेदनशील और जागरूक है। आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे ले जाने के दृष्टिगत राज्य में निवेश के लिए यह आवश्यक है कि उद्यमिता के विकास हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया जाये। सरकार औद्योगिक वातावरण को सुधारने, व्यवसाय में प्रवेश और परिचालन प्रक्रियाओं को स्पष्ट एवं सरलीकृत बनाने तथा विलम्ब एवं व्यापार लागतों को कम करने के लिए अपने वर्तमान प्रयासों को जारी रखेगी जिससे कि प्रदेश में अधिकाधिक पूँजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। व्यापार नियामक प्रक्रिया की सम्पूर्ण व्यवस्था के गठन के लिए तथा सहायक संस्थागत ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी जिससे कि औद्योगिक वातावरण में सुधार हो सके। इस दिशा में ई गर्वेनेन्स माध्यम का अधिकाधिक प्रयोग किया जायेगा तथा वर्तमान के संस्थागत ढाँचे जैसे- उद्योग बन्धु, उ.प्र. निवेश केन्द्र आदि को और सुदृढ़ किया जायेगा। उद्यमियों में सुरक्षा की भावना को बल प्रदान करने के लिए विशेष प्राविधान किये जायेंगे। नये निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशको को निवेश संबन्धी सूचना उपलब्ध कराने तथा शिकायत निवारण कराने हेतु व्यापक प्रबंध किये जायेंगे। इन सब के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में लगने वाले समय की बचत होगी साथ-ही-साथ उद्यमियों के बहुमूल्य समय व संसाधनों की भी बचत होगी। उत्तर प्रदेश को सबसे आकर्षक निवेश गंतब्य स्थापित करने में यह सब प्रयास मील का पत्थर साबित होंगे।

3.1. नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण

3.1.1. श्रम विभाग

1. औद्योगिक इकाईयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत रखे जाने वाले अभिलेखों व भरे जाने वाले रिटर्न का अध्ययन कर उन्हें यथासम्भव युक्तिसंगत व एकजाई करते हुए न्यूनतम संख्या में लाया जायेगा। प्रदेश प्रशासन तन्त्र को उद्यमियों के प्रति और सहयोगी बनाया जायेगा।
2. विनियामक उपायों को लागू करने हेतु यथावश्यकता प्रपत्रों का स्व-प्रमाणन (Self Certification) करने व अनुमोदित तीसरी पार्टी से जाँच की व्यवस्था जारी रखते हुए उनका और अधिक विस्तार किया जायेगा।
3. शिकायत के आधार पर जाँच, संबन्धित विभागो यथा-श्रम, पर्यावरण, कर एवं औषधि एवं खाद्य प्रशासन इत्यादि द्वारा जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही की जायेगी।
4. “औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947”, “संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970” “कारखाना अधिनियम, 1948” व अन्य श्रम कानूनों में औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक संशोधनों को चिन्हित किया जायेगा तथा भारत सरकार से उन्हें लागू कराने का प्रयास किया जायेगा।

3.1.2. ऊर्जा विभाग

उद्यमियों को विद्युत भार के समर्पण, बृहदीकरण एवं घटाये जाने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा।

3.1.3. पर्यावरण विभाग

1. नये उद्यमियों को उद्यम स्थल के चयन को सुगम बनाने हेतु प्रदेश के प्रदूषण जोन को इंगित करते हुए समय-समय पर एटलस तैयार कर उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
2. अप्रदूषणकारी उद्योगों को विशेष रूप से चिह्नित किया जायेगा तथा उन्हें बिना उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की औपचारिकताएँ पूर्ण किये ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी। इनके द्वारा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने की औपचारिकताएँ उत्पादन के साथ-साथ पूरी की जा सकेंगी। यदि ऐसे उद्योगों के आवेदन पर उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई आपत्ति है तो उस पर कार्यवाही राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही की जाएगी।
3. ऐसे उद्योग जोकि प्रदूषण विहीन अथवा न्यूनतम प्रदूषणयुक्त हैं तथा जो हरित सूची में सम्मिलित हैं, को प्रदूषण विभाग से सहमति लेने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जायेगा।
4. प्रदूषण विहीन इकाइयों को स्टैन्ड बाई व्यवस्था के रूप में जेनरेटर उपयोग करने की दशा में 5 के.वी.ए. तक के जेनरेटर हेतु प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से छूट अनुमन्य है। नई नीति के अंतर्गत 5 के.वी.ए. से अधिक के जेनरेटर प्रयोग पर भी ऐसी इकाइयों को प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा।

3.1.4. वाणिज्य कर विभाग

1. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली में विहित वार्षिक रिटर्न (फार्म 26) के स्थान पर वैकल्पिक सरलीकृत व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम /नियमावली में संशोधन के पश्चात् प्रभावी होगी।
2. केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण एवं आवर्त) नियमावली में विहित फार्म-सी, फार्म-एफ, फार्म-एच, फार्म-ई-1 को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर उपयोग में लाये जाने की सुविधा दी जायेगी।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत स्थापित निर्माता इकाइयों को उक्त नीति लागू रहने तक अथवा प्लांट मशीनरी की प्रथम खरीद से पाँच वर्ष तक, जो भी पहले हो, प्रांत के अंदर से क्रय की गयी कैपिटल गुड्स पर अदा किए गए कर पर आई.टी.सी. की अनुमन्यता खरीद के कर निर्धारण वर्ष के अनुवर्ती वर्ष में प्रथम टैक्स पीरियड के रिटर्न में की जायेगी। यह व्यवस्था 30.06.2010 मूल्य संवर्धित कर नियमावली में संशोधन के पश्चात् प्रभावी होगी।

3.1.5. कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग

1. मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट प्राप्त करने वाली इकाइयों को कच्चे माल के क्रय पर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 17-ए के अन्तर्गत छूट दिये जाने हेतु वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सभापति मण्डी समिति एवं महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र आदि सदस्य होंगे। समिति समयबद्ध रूप से मंडी शुल्क एवं विकास सेस से छूट के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करेगी।

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 के अन्तर्गत निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा कर लाइसेंस हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र पर 30 दिन के अन्दर स्वीकृति प्रदान कर यदि लाइसेन्स निर्गत नहीं किया जाता है तो इसे लाइसेंस की स्वतः स्वीकृति (डीमड एप्रूवल) मान लिया जायेगा।
3. किसी निर्माता इकाई द्वारा यदि मंडी क्षेत्र के अन्दर निर्मित माल के क्रय/विक्रय का कोई संबन्धित मंडी क्षेत्र में नहीं किया जाता है वरन् निर्मित माल प्रदेश के बाहर बिक्री हेतु स्थानान्तरित (स्टॉक ट्रांसफर) कर दिया जाता है तो स्टॉक ट्रांसफर के प्रमाण में केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण एवं आवर्त) नियमावली में विहित फार्म-एफ ही मंडी अधिनियम में स्टॉक ट्रांसफर के लिये समुचित साक्ष्य माना जायेगा।

3.1.6. अन्य विभागों से संबन्धित

1. भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरलीकृत किया जायेगा तथा तथा इसमें लगने वाली समयावधि को न्यूनतम किया जायेगा। विभिन्न औद्योगिक एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले भू-हस्तांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की प्रक्रियाओं को सरलीकृत करते हुए औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिये और अधिक युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
2. वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली ऋण एवं ब्याज की वसूली में वसूली शुल्क की दरें युक्तिसंगत निर्धारित करायी जायेगी। इस प्राविधान में एकमुश्त समाधान में प्राप्त धनराशि पर ही वसूली शुल्क लगाये जाने की व्यवस्था करायी जायेगी।
3. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम (द स्टेट फाईनेन्शियल कॉर्पोरेशन एक्ट) 1951 की धारा-29 के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण एवं ब्याज की वसूली में बेची गयी सम्पत्ति के केवल विक्रय मूल्य पर ही स्टैम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाये जायेंगे। ऐसी सम्पत्तियों के विक्रय में जनपद का सर्किल रेट संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इस सुविधा को पूर्व की भांति अनुमन्य रखते हुए भविष्य में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।
4. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में ही उद्यमियों के कार्य व समस्याओं को निस्तारित कराये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय प्रबन्धक को केन्द्रीयकृत अधिकारों का प्रतिनिधायन कराया जायेगा।
5. औद्योगिक क्षेत्रों व औद्योगिक आस्थानों के भूखण्डों के मूल्य, हस्तान्तरण शुल्क, विलम्ब से निर्माण पर दण्ड, आदि विभिन्न प्रकार की दरों को युक्तिसंगत तथा उद्योगपरक बनाया जायेगा।
6. औद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धित अनेक अनापत्तियां एवं स्वीकृतियां अल्प समय यथा तीन माह, एक वर्ष, दो वर्ष के लिए हैं इन्हें एक ही बार अधिक से अधिक समय तक के लिए प्रदान करने हेतु नियामक विभागों द्वारा नियम बनाये जायेंगे जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बार-बार सम्बन्धित विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें।

3.2. ई-गवर्नेन्स

- 3.2.1. उद्योगों की स्थापना हेतु वॉछित समस्त लाईसेंस, अनापत्तियाँ, स्वीकृतियाँ, अनुमतियाँ, अनुमोदन इत्यादि की प्राप्ति सिंगल बिण्डो क्लीयरेन्स ऑन-लाइन प्रदान करने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करते हुए उद्योग बन्धु द्वारा प्रदेश के संपूर्ण जनपदों में लागू कराई जायेगी।
- 3.2.2. प्रदेश में शीघ्र ही ई-बिज (उपभोक्ता केन्द्रित सिंगल बिण्डो प्लेटफार्म) की व्यवस्था लागू की जायेगी जिसके माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों की उन सभी सेवाओं को एक ही वेबपोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा, जिनकी आवश्यकता उद्योगों को होती है।
- 3.2.3. उद्योग निदेशालय, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों पर स्थापित कम्प्यूटर केन्द्रों को सुदृढ़ किया जायेगा ताकि इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान सरलता से हो सके तथा उद्यमियों को समस्त जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जा सके। इन सभी कार्यालयों में योजनाओं के आवेदन पत्र, विविध जानकारियाँ, एवं विवरण सामग्री उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था होगी।
- 3.2.4. निवेशकों को परियोजना के चयन हेतु उपयुक्त स्थान सम्बन्धी जानकारी, निवेशक ट्रैकिंग व्यवस्था, निवेशकों को निवेश सम्बन्धी सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने एवं शिकायत निवारण हेतु वेब पोर्टल विकसित किये जायेंगे।

3.3. उद्योग बन्धु

- 3.3.1. उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बन्धु को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा तथा उद्योग बन्धु के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जायेगा। उद्योग व व्यापार से सम्बन्धित विभागों एवं क्षेत्रों की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ऐसे विभाग एवं क्षेत्र विशेष के जानकार व्यक्तियों को उद्योग बन्धु में नियुक्त किया जायेगा। उद्योग बन्धु द्वारा राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के सलाहकार की भूमिका निभाई जायेगी। इस कार्य के लिए उद्योग बन्धु, जनपद व मण्डल स्तरीय समितियों से सूचना प्राप्त कर इसका संकलन व विश्लेषण कर राज्य स्तरीय समिति के निर्णयों हेतु प्रस्तुत करेगा।
- 3.3.2. जिला स्तरीय एवं मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कराते हुए उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।
- 3.3.3. राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों यथा त्रिपक्षीय, वर्किंग ग्रुप, अनश्रवण समिति, इम्पावर्ड कमेटी का आयोजन नियमित रूप से करवाकर समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ नीतियों का निर्धारण एवं संशोधन प्रभावी ढंग से करवाया जायेगा।
- 3.3.4. उद्योग बन्धु में गठित विभिन्न समितियों में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को नामित करने की व्यवस्था पूर्ववत् जारी रखी जायेगी।

3.4. निवेशक सहायता व्यवस्था

- 3.4.1. उद्यमियों की समस्याओं का एक पटल पर निराकरण करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर प्रत्येक नये लगने वाले बड़े उद्योग हेतु एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा। उद्योग के आकार एवं महत्व को देखते हुए यह अधिकारी प्रमुख सचिव से लेकर विशेष सचिव स्तर के होंगे। नोडल अधिकारी का दायित्व उद्यमी की माँग को पुरजोर ढंग से विभागों के समक्ष प्रस्तुत करना और उसका निस्तारण कराना होगा।
- 3.4.2. उद्योग निदेशालय के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्र में मानव संसाधन की वृद्धि की जायेगी ताकि जनपदों में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाइयों को त्वरित गति से अनुमतियाँ एवं स्वीकृतियाँ उपलब्ध कराई जा सकें।
- 3.4.3. विशिष्ट उद्यमियों व प्रदेश स्तरीय प्रमुख औद्योगिक संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों को “गोल्डन कार्ड” की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि हर सरकारी कार्यालय में उन्हें निर्विघ्न प्रवेश एवं प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- 3.4.4. प्रदेश के औद्योगिक विकास में अतिविशिष्ट योगदान देने वाले उद्यमियों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था आरम्भ की जायेगी।

3.5. औद्योगिक सुरक्षा

- 3.5.1. उद्योग की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में उद्यमियों की समस्या निवारण हेतु एक पुलिस महानिरीक्षक के अधीन ‘त्वरित शिकायत निवारण कोष्ठ’ (फास्ट ट्रैक ग्रीवेन्स रिड्रेसल सेल) की स्थापना कराई गयी है जिसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा।
- 3.5.2. औद्योगिक क्षेत्रों व आस्थानों के सुरक्षित औद्योगिक वातावरण के लिए यथावश्यकता विशेष व्यवस्था का प्राविधान किया जायेगा जिसके अन्तर्गत पुलिस चौकी, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी तथा अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना कराई जायेगी।
- 3.5.3. औद्योगिक क्षेत्रों व आस्थानों में पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुदृढीकरण किया जायेगा।
- 3.5.4. उद्यमियों एवं व्यापारियों की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में “औद्योगिक - व्यापारिक सुरक्षा फोरम” का गठन किया गया है जिसे और अधिक प्रभावी बनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 3.5.5. औद्योगिक संगठनों द्वारा नामित सदस्यों को “औद्योगिक - व्यापारिक सुरक्षा फोरम” में विशेष दर्जा देते हुए सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

3.6. उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र

- 3.6.1.** प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र, नई दिल्ली को अधिक सुदृढ बनाया जायेगा एवं आवश्यकता पडने पर देश के अन्य राज्यों में अथवा प्रदेश के अन्य शहरों में इसी प्रकार के अन्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- 3.6.2.** अनिवासी भारतीयों को प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा समन्वय का कार्य किया जायेगा।

अध्याय - 4 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु लघु उद्योग विभाग को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का नाम दिया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) की रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही वे समाज को विविध प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जो समाज के लिये आवश्यक है। राज्य सरकार इस सेक्टर का विकास भारी उद्योगों के साथ समन्वित एवं सन्तुलित ढंग से करेगी। यह दोनों सेक्टर एक दूसरे के पूरक के रूप में विकसित किये जाएंगे।

प्रदेश में पारम्परिक उद्योग शताब्दियों से विद्यमान है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता का संरक्षण एवं विस्तार करने के साथ ही यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड तो हैं ही, राज्य से किये जाने वाले निर्यात में भी इनका बड़ा अंश है। इन उद्योगों को सुदृढ़ किया जायेगा तथा प्रबन्धन, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पैकेजिंग, बेन्चमार्किंग, डिजायनिंग तथा विपणन में सक्रिय सहयोग देते हुए इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा।

4.0. लघु उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के कर्तव्यों को इस प्रकार से परिभाषित किया जायेगा कि योजनाओं के संचालन के साथ ही उद्यमियों एवं उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु विभाग सहयोगी के रूप में कार्य करें।

4.1. भारत सरकार की योजनाओं का प्रदेश को अधिकाधिक लाभ दिलाया जायेगा। मेमोरेन्डम-1 अथवा मेमोरेन्डम-2 प्राप्त उद्यमियों को भारत सरकार की योजनाओं जैसे क्लस्टर विकास, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एसाइड, इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम, गुणवत्ता सुधार, प्रदूषण निवारण संयंत्र स्थापित करने की योजना, इन्टेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट तथा जियोग्राफिकल इन्डीकेटर्स के पंजीयन की योजना, क्रेडिट गारण्टी, विपणन सहायता, स्किल डेवलपमेन्ट, मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट तथा बारकोडिंग आदि योजनाओं एवं वर्गीकृत उद्योगों यथा टेक्सटाइल, होजरी, लेदर फुटवियर, खाद्य प्रसंकरण आदि के क्षेत्र में भारत सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदेश के उद्यमियों को प्रदान कराया जायेगा। इसके माध्यम से यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि उत्तर प्रदेश का एम.एस.एम.ई. क्षेत्र निर्यात की दृष्टि से और प्रतिस्पर्धात्मक बनें। उद्योग निदेशालय में भारत सरकार की योजनाओं को संचालित करने के लिए एक विशेष सेल गठित किया जायेगा जिसके अन्तर्गत भारत सरकार की प्रत्येक योजना का एक प्रभारी अधिकारी होगा। इस सेल में आवश्यकतानुसार वित्तीय एवं परियोजना प्रबन्धन तथा अनुश्रवण हेतु बाहर के विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकेंगी।

4.2. हैन्डीक्राफ्ट क्षेत्र की विपणन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने हेतु उनके द्वारा उत्पादित माल के प्रदर्शन की व्यवस्था के अन्तर्गत सीधे विक्रय की योजना निगम व निजी क्षेत्रों में संचालित करायी जायेगी। प्रदेश व्यवस्था के अन्तर्गत हस्तशिल्पी को कौशल विकास, डिजाइन उपलब्ध कराते हुए उनके उत्पादन का सही मूल्यांकन करते हुए विक्रय मूल्य नियत किये जायेंगे तथा कमीशन के आधार पर उत्पादों की बिक्री करायी जायेगी। इस योजना में हस्तशिल्पी को उसके माल के सापेक्ष अग्रिम धनराशि भी दिये जाने की व्यवस्था रहेगी जिससे उसके पास कार्यशील पूंजी का अभाव न हो।

4.3. प्रदेश में हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प के विपणन हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन होता है परन्तु उनके विपणन की कोई व्यवस्था न होने के कारण हस्तशिल्पियों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः विभिन्न प्रकार के मेलों व

- प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए हस्तशिल्पियों के माल को ले जाने के व्यय तथा स्टॉल के भाड़े आदि की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। इससे प्रदेश के हस्तशिल्पी अपने द्वारा उत्पादित माल का विपणन आसानी से कर सकेंगे।
- 4.4. नगरीय हाट तरीके के बाज़ार कवाल टाउन्स में बनाये जाने की योजना को प्रभावी किया जायेगा जहाँ पर प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को डिस्ट्रे एवं विक्रय दोनों की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। यह हाट निजी क्षेत्र के प्रबंधन में विकसित कराये जायेंगे।
 - 4.5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के आधुनिकीकरण एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया जायेगा। इस हेतु उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं संचालित की जायेंगी तथा भारत सरकार द्वारा संचालित तकनीकी उन्नयन योजना एवं अन्य योजनाओं में अधिकतम सहायता प्रदेश के उद्यमियों को दिलाने हेतु व्यवस्था की जायेगी।
 - 4.6. प्रदेश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और कम विकसित क्षेत्रों के नवयुवक नवयुवतियों को अधिकाधिक रोजगार प्रदान करने के प्रयास किये जायेंगे। प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिए विशेष रियायतें दी जायेंगी जैसे - लघु उद्यमों हेतु पूंजी निवेश की योजना, ब्याज उपादान की योजना एवं अन्य पूंजी उपादान योजना। ऐसी योजनाओं के संचालन से प्रदेश का क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा तथा इन क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि होगी और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।
 - 4.7. औद्योगिक भूखण्डों की लीजडीड आदि के पंजीयन में स्टैम्प ड्यूटी सरकारी विभाग व संस्थान को वास्तव में दी जाने वाली धनराशि पर ही ली जायेगी। ऐसे विक्रय अभिलेखों के सम्बन्ध में जिनमें विक्रेता सरकारी विभाग अथवा अर्धसरकारी संस्था होगी, लीज डीड के पंजीयन में स्टैम्प ड्यूटी उतनी ही धनराशि पर अनुमन्य होगी, जो वास्तविक विक्रय मूल्य अभिलेख में अंकित है तथा उसका वास्तविक कब्जा अन्तरण एक वर्ष से अधिक पुराना न हो।
 - 4.8. केन्द्र सरकार की क्रय नीति के अनुरूप प्रदेश की एम.एस.एम.ई. क्रय नीति लागू की जायेगी।
 - 4.9. उद्योगों का मेमोरेन्डम पार्ट-1 एवं 2 सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर आनलाईन किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम अधिनियम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ऑन लाईन भरे गये आवेदन पत्रों पर स्वतः सृजित संख्या डालते हुए पावती देने की व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार मेमोरेन्डम-1 की पावती प्राप्त करते ही विभिन्न विभागों की उद्यमों से सम्बन्धित संस्तुतियां एवं स्वीकृतियां साप्ताहिक रूप से एकल मेज व्यवस्था द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रदान की जायेंगी और सभी मेमोरेन्डम भाग-1 का आवर्ती अनुश्रवण किया जायेगा। इसी प्रकार मेमोरेन्डम-2 प्राप्त करने वाली इकाईयों की समस्याओं का निवारण, विभिन्न योजनान्तर्गत सुविधायें दिया जाना और आवर्ती अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 4.10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के वित्त-पोषण हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों का पुनर्जीवीकरण किया जायेगा जिनके माध्यम से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का संचालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

- 4.11. गैर प्रदूषणकारी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, जिसके संचालन में भवनों का स्वरूप विकृत या खराब नहीं होता है तथा यह उद्यम भूमि, जल और वायु मण्डल में कोई प्रदूषणकारी उपद्रव नहीं डालते, इन्हें आवासीय क्षेत्र में भी संचालन की अनुमन्यता प्रदान की जायेगी। उक्त हेतु ऐसे गैर प्रदूषणकारी उद्यमों की सूची प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा लघु उद्योग के परामर्श से प्रख्यापित की जायेगी।
- 4.12. गैर प्रदूषणकारी तथा भवनों को क्षति न पहुँचाने वाले उद्यम बहुमंजिला भवनों में भी अनुमन्य किये जायेंगे। आवासीय अपार्टमेंट्स की भांति औद्योगिक भवनों के अंशों का विक्रय एवं उन्हें किराये पर दिये जाने के लिए नियम बनाये जायेंगे। ऐसे भवनों के निर्माण हेतु भवन उपविधि/विनियमावली में भी आवश्यक प्राविधान किए जाएंगे।

अध्याय - 5 - वित्तीय अनुदान एवं छूट

प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु औद्योगिक निवेश को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में निवेश को आकर्षित करने हेतु एवं उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जायेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की छूट, वित्तीय सुविधायें एवं अनुदान उपलब्ध कराये जायेंगे।

5.1. स्टैम्प ड्यूटी से छूट

5.1.1. राज्य तथा केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्वधीन निगम, परिषद्, कम्पनी, संस्था से भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट के क्रय या पट्टे पर लेने पर सभी नई औद्योगिक इकाइयों अथवा विस्तार, विविधीकरण करने वाली इकाइयों को स्टैम्प शुल्क से निम्न प्रकार छूट उपलब्ध कराई जायेगी।

(क) पूर्वान्वल, मध्यांचल एवं बुंदेलखण्ड में स्थापित होने वाली इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई जायेगी।

(ख) पूरे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों, जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों, बी.पी.ओ. काल सेन्टर्स, एग्रो प्रोसोसिंग इकाइयों, फूड प्रोसोसिंग इकाइयों, फूड पार्क, सौर ऊर्जा व वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(ग) पूरे प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) माध्यम के अलावा अवस्थापना सुविधाओं के विकास (यथा- सड़को, पुलो, ओबरब्रिज, थोक बाजार, ट्रान्सशिपमेंट केन्द्र, एकीकृत ट्रान्सपोर्ट व व्यवसायिक केन्द्र, विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण, जलापूर्ति, जल निकासी, प्रदर्शनी केन्द्र, वेयर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, एयरपोर्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाण्ट, रेलवे व्यवसायिक केन्द्र, कारगो हब, फायर स्टेशन, गैस बूस्टर व फीडर स्टेशन, एफ्यूलेण्ट ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना) हेतु भूमि के क्रय पर स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(घ) उपरोक्त प्रस्तर-क, ख एवं ग में उल्लिखित प्रकार की इकाइयों से भिन्न इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

5.1.2. निजी स्रोत से भूमि क्रय करने पर उपरोक्त प्रस्तर-1 के क, ख एवं ग में उल्लिखित प्रकार की इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी परन्तु प्रस्तर-1 के क, ख एवं ग से भिन्न इकाइयों को 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

5.1.3. निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र व औद्योगिक आस्थान के लिए विकासकर्ता को भूमि के क्रय करने के उपरान्त 3 वर्ष की समयावधि में विकास कर लेने तथा औद्योगिक क्षेत्र व औद्योगिक आस्थान में न्यूनतम 50 प्रतिशत भूमि की बिक्री हो जाने की दशा में स्टैम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

5.1.4. पिकप, यू.पी.एफ.सी. या बैंक द्वारा बिक्री की जाने वाली अटैच की गयी बन्द इकाईयों के लिए सर्किल रेट के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विक्रय मूल्य पर स्टैम्प शुल्क देय होगा।

5.1.5. यदि किसी पेरेंट कंपनी द्वारा अपनी सब्सिडरी कंपनी, जिसमें पेरेंट कंपनी न्यूनतम 51 प्रतिशत की अंशधारक हो, को भूमि हस्तांतरित की जाती है तो अन्तरण पर सब्सिडरी कम्पनी को इस शर्त पर स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी कि सब्सिडरी कंपनी द्वारा तीन वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाए।

टिप्पणी :: विस्तारीकरण करने वाली इकाई का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जिसके द्वारा विस्तारीकरण के ठीक पूर्व भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स एवं कैपिटल गुड्स में किये गये निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश उपरोक्त मदों में किया जाए तथा विस्तारीकरण से पूर्व की अधिष्ठापित क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाए।

5.2. वाणिज्य कर विभाग से संबंधित छूट

5.2.1. प्रदेश में कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर प्रवेश कर लागू है, उन वस्तुओं में शामिल लोहा तथा इस्पात पर प्रवेश कर से प्रदेश के लोहा इस्पात संबंधी उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः उद्योगों के हित में कच्चे माल के रूप में प्रयोग हेतु लोहा तथा इस्पात पर प्रवेश कर से छूट उपलब्ध कराई जायेगी।”

5.2.2. कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री व पैकिंग सामग्री जिनका प्रयोग बिक्री हेतु वस्तुओं के निर्माण व पैकिंग में किया जाता है उनको अधिकाधिक अनुसूची-दो भाग-ग वस्तुओं की 4 प्रतिशत कर देयता की श्रेणी में जोड़कर इस अनुसूची को विस्तृत किया जायेगा।

5.2.3. निर्माताओं द्वारा एक्सपोर्ट हाउस के माध्यम से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा-5 की उप धारा (3) के अनुरूप निर्यात के अनुक्रम में (in the course of export) भारतवर्ष के बाहर निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट हाउस को की गयी बिक्री के संबंध में निर्माताओं को इनपुट टैक्स का रिफण्ड / सेटऑफ की सुविधा अनुमन्य होगी।’

5.2.4. प्रदेश से बाहर स्टॉक ट्रांसफर किये जाने की दशा में इनपुट टैक्स क्रेडिट से कटौती उतनी ही केन्द्रीय बिक्री कर की दर से की जायेगी जो दर वाणिज्य कर के फार्म-सी से अन्तर्प्रांतीय बिक्री करने पर लागू होती है।

5.3. मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट

सभी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ जिनमें प्लांट, मशीनरी व स्पेयर पार्ट्स में पूंजी निवेश रु. 2 करोड़ या अधिक हो, को उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल के क्रय पर 5 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

5.4. निवेश प्रोत्साहन योजना का विस्तार

- 5.4.1. पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली समस्त नयी इकाइयों जिनमें स्थायी पूंजी निवेश रू. 5 करोड़ या अधिक हो एवं प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण, पशु-संपदा आधारित इकाइयो तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों जिनमें स्थाई पूंजी निवेश रू. 5 करोड़ या अधिक हो, उनको प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष तक उनके द्वारा जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 7 वर्ष बाद देय होगा।
- 5.4.2. पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली समस्त नयी इकाइयों जिनमें स्थायी पूंजी निवेश रू. 12.50 करोड़ या अधिक हो, उनको प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष तक उनके द्वारा जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 7 वर्ष बाद देय होगा।
- 5.4.3. विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों को भी उपरोक्त प्रस्तर 5.4.1 एवं 5.4.2 की भाँति निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य धनराशि को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने की योजना बनाई जायेगी।

5.5. ऊर्जा सम्बंधी वित्तीय प्राविधान

- 5.5.1. उद्योग की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में सामान्यतया अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। न्यूनतम विद्युत चार्ज एवं न्यूनतम विद्युत माँग से इकाई की तरल पूंजी विपरीत रूप से प्रभावित होती है। अतः प्रारम्भिक 5 वर्षों तक न्यूनतम मासिक विद्युत भार एवं न्यूनतम माँग भार के स्थान पर इकाई द्वारा वास्तविक विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क देय होगा।
- 5.5.2. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में वर्तमान में उपलब्ध 10 वर्ष की छूट नई इकाईयों हेतु एवं 15 वर्ष की छूट पायनियर इकाईयों हेतु जारी रखी जायेगी।
- 5.5.3. कैप्टिव पावर प्लान्ट द्वारा उत्पादित स्वयं प्रयोग की जाने वाली विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मुक्त रखा जायेगा।

5.6. उपादान योजनायें

- 5.6.1. पूंजीगत ब्याज उपादान योजना - बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 5 वर्ष हेतु, प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू. 50 लाख होगी।

केवल नई वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, नीटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाईयों के लिए प्रति वर्ष, प्रति इकाई बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रु. 50 लाख होगी।

- 5.6.2. अवस्थापना ब्याज उपादान योजना** - प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा-सड़क, सीवर, जल-निकासी, पावर लाईन, ट्रांसफार्मर एवं पॉवर फीडर की स्थापना के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रु. 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 5.6.3. औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना** - औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिए औद्योगिक संगठनों, औद्योगिक इकाईयों के समूह द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लाण्ट, मशीनरी एवं इक्वूपमेन्ट पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति लैब/टूलरूम कुल रु. 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 5.6.4. ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति योजना**- प्रदेश में ऐसी नई औद्योगिक इकाईयों को जिनके द्वारा 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा उनके द्वारा श्रमिकों के पक्ष में जमा किये गये ई.पी.एफ. की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षों बाद उससे अगले तीन वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.7. मेगा प्रोजेक्ट

मेगा प्रोजेक्ट का तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाईयों से है जो अपने संबन्धित क्षेत्र में एंकर इकाई का कार्य करती है, वृहद स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराती है तथा अपने क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु की इकाईयों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देती है। ऐसी इकाईयो द्वारा एक वृहद स्तर का पूंजी निवेश किया जाता है जिससे प्रदेश में अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। इन इकाईयों को स्थापना हेतु कई बार त्वरित सहायता राज्य सरकार से वांछित होती है जिससे कि इनका उत्पादन शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ हो सके तथा इनको स्थापित करने में समय की बचत हो सके। इन इकाईयों के क्षेत्र विशेष से संबन्धित अन्य राज्यों में उपलब्ध वित्तीय छूट की तुलना में कई बार इनके द्वारा प्रदेश में छूट की मांग की जाती है।

प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक गंतव्य के रूप में विकसित किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में अधिकाधिक मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना को प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत् प्रोत्साहित किया जायेगा।

रूपये 200 करोड़ से अधिक तथा रु. 500 करोड़ तक पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा देते हुए उन्हें केस-टू-केस आधार पर इम्पावर्ड कमेटी के माध्यम से मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त सुविधायें प्रदान की जायेगी। नीति में उल्लिखित वित्तीय सुविधायें इन इकाईयों हेतु उपलब्ध होगी इसके साथ-साथ वित्तीय उपादान योजनाओं में योजना की मूल संरचना लागू रखते हुए केस-टू-केस आधार पर इनके लिए अधिकतम वित्तीय सीमा को शिथिल किया जा सकेगा। इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आवंटन, जल, विद्युत कनेक्शन आदि

को प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसी इकाईयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापकीय सुविधा जैसे-सड़क, विद्युत लाईन, सीवर लाईन, जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे शासकीय/विभागीय व्यय पर उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

विशेष प्रोत्साहन के तौर पर रू. 500 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश करने वाली मेगा परियोजनाओं को केस-टू-केस आधार पर दी जाने वाली सुविधायें मा. मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय - 6 - दक्षता एवं क्षमता विकास

किसी भी प्रदेश की औद्योगिक विकास में दक्षता विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार प्रदेश के नागरिकों के लिए कौशल विकास और रोजगार योग्यता में सुधार करना, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार उद्योग और बाजार आधारित विशिष्ट कुशलताओं के निर्माण और राज्य की कार्मिक शक्ति की रोजगार क्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। इस कार्य को उद्योगों तथा औद्योगिक संगठनों की सहभागिता से भी किये जाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नये उद्योगों में रोजगार के नए अवसरों के लिए न केवल अच्छे कौशलों, क्षेत्र सम्बंधी सभी स्तरों हेतु प्रतिस्पर्धी क्षमता की आवश्यकता होगी बल्कि अनेक उच्चकोटि के दक्षता की भी जरूरत होगी। प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के प्रोत्साहन के साथ-साथ वर्तमान आई. टी. आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजों को भी ऐसी प्रशिक्षण क्षमताओं से सुसज्जित किया जाएगा जिससे कार्मिक-शक्ति की उत्पादकता और रोजगार योग्यता बढ़ाई जा सके।

- 6.1** मानव संसाधन के विकास में श्रम शक्ति की आवश्यकता का आंकलन कर कुशल योग्यता प्रोत्साहित करने तथा उद्योगों की मांग के अनुसार पूर्ति कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए ब्रिज कोष विशेष क्षेत्र विशेषज्ञ संस्थायें विकसित करायी जायेंगी। ऐसी संस्थाएं क्लस्टर के क्षेत्रों में स्थापित करायें जायेंगे। यह सभी कार्य प्राविधिक शिक्षा निदेशालय निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के एकीकृत सहयोग से कराया जायेगा। स्थानीय स्तर पर उद्योग बुद्धिजीवियों तथा सरकार के सहयोग से आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम तैयार करायें जायेंगे ताकि जो प्रशिक्षण दिया जाए वह व्यापार एवं उद्योगों के अनुसार बन सके।
- 6.2** प्रदेश की युवा मानव शक्ति को वर्तमान समय के बदलते परिवेश के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी में दक्ष बनाने के लिए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण जैसे-लैपटाप व टैबलेट का वितरण किया जायेगा।
- 6.3** उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ को राज्यस्तरीय उद्यमिता तथा मानव संसाधन विकास उच्च संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा तथा औद्योगिक विकास से संबंधित अधिकारियों के कौशल उन्नयन, क्षमता विकास के निरन्तर कार्यक्रम कराये जायेंगे तथा देश के अन्य इन्स्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से नियमित प्रशिक्षण, फैकेल्टी आउटसोर्सिंग आदि कराये जायेंगे।
- 6.4** प्रदेश की तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे- आई.टी.आई., जी.टी.आई. की विशेषज्ञता का लाभ उद्योगों को उपलब्ध कराने की योजनाएं क्रियान्वित की जायेगी, जिसके अंतर्गत उद्योगों के कर्मचारी बिना प्रवेश प्रतियोगिता में भाग लिये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। उद्योगों के कर्मचारियों का 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया जायेगा। इन प्रशिक्षण संस्थाओं में सीखो-कमाओ योजना प्रभावी ढंग से लागू की जायेगी।
- 6.5** आई.टी.आई., पालीटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में इण्डस्ट्रियल मैनेजमेंट कमेटी गठित कराकर ऐसे अधिकार दिये जायेंगे कि ऐसे संस्थाओं में संसाधनों की कमी न रहे तथा प्रशिक्षित कर्मियों को उद्योगों में रोजगार सुनिश्चित हो सके। आई.टी.आई., पालीटेक्निक तथा अन्य तकनीकी

प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर भी विकसित किया जायेगा। प्रदेश में चल रहे आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को ख्यातिप्राप्त औद्योगिक घरानो द्वारा एडाप्ट करने की अनुमति दी जायेगी।

- 6.6 कौशल वृद्धि, दक्षता विकास अथवा क्षमता विकास के उद्देश्य से प्रदेश में रु.500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश हेतु आवश्यक राज्य सरकार की विशेष सहायता केस-टू-केस आधार पर इम्पावर्ड कमेटी तथा मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त उपलब्ध कराई जायेंगी।
- 6.7 यदि किसी व्यापारिक घराने, औद्योगिक समूह अथवा औद्योगिक इकाई द्वारा शासकीय आई.टी.आई. अथवा पॉलीटेक्निक में अपने संसाधनों से कोई विशेष पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया जाता है तो उस पर तत्परता से कार्यवाही कर अनुमति प्रदान की जायेगी।
- 6.8 श्रम विभाग के अन्तर्गत लेबर मार्केट इंफारमेशन सेल का गठन किया जायेगा जो सेवायोजकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। इस सेल में श्रम बाजार, तकनीकी मांग तथा तकनीकी व्यक्तियों की कितनी आवश्यकता है तथा उन्हें प्रशिक्षण दिये जाने की क्या सुविधा है आदि दिग्दर्शित किया जायेगा।
- 6.9 श्रम विभाग के अन्तर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कराई जायेगी। ऐसे उद्योगो को विशेष सहायता उपलब्ध करायी जायेगी जिनके द्वारा 100 से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने उद्योग के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिक में परिवर्तित किया जायेगा।
- 6.10 उच्च शिक्षा प्राप्त यथा तकनीकी एवं प्रबन्ध संस्थानों से नवयुवकों अपना उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेगी तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं को भी इस सम्बन्ध में प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 6.11 राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये दक्षता विकास बोर्ड बनाया जायेगा जिसमें प्रदेश की आवश्यकतानुसार स्किल मैपिंग की जायेगी तथा बोर्ड द्वारा दक्षता विकास के संबंध में आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे।

अध्याय - 7 - प्राथमिकता क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु विशेष नीतियाँ

7.1. हथकरघा उद्योग

एकीकृत हथकरघा विकास योजना, पॉवरलूमों के विकास हेतु एस.सी.पी. योजना, हथकरघा पुरस्कार योजना, बुनकर बहुबुद्धी फण्ड योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, पॉवरलूम कामगारों के लिए समूह बीमा योजना तथा महात्मा गाँधी बुनकर योजना आदि को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा जिससे हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

7.2. खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग

खादी एवं ग्रामोद्योग की ग्रामीण क्षेत्र स्वरोजगार सृजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में खादी उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्र की महिला कर्तितनो/कर्तकरो, बुनकर एवं अन्य कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। खादी को अधिक आधुनिक, आकर्षक एवं डिजाइन बनाने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से डिजाइन विकास में परामर्श तथा सहयोग लेकर प्रचलित किया जायेगा। हर उम्र व वर्ग के लोगों के लिए खादी को ग्राह्य बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी से विपणन हेतु मॉड के अनुसार खादी/रेडीमेड गारमेंट का डिजाइन विकास कराया जायेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी से कराये गये डिजाइन विकास के आधार पर खादी संस्थाओं के कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान कराकर खादी का उत्पादन कराया जायेगा तथा खादी के प्रचार प्रसार एवं विपणन में कामर्शियल संस्थानों/संस्थाओं से समन्वय एवं सहयोग लेकर बढ़ावा दिया जायेगा।

7.3. सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग

इस क्षेत्र के विशेष महत्व के दृष्टिगत इसकी विस्तृत नीति सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा अलग से बनाई जा रही है।

7.4. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग

जैव प्रौद्योगिकी नीति का मुख्य उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के लाभ को सामाजिक के सभी वर्गों तक पहुँचाना तथा जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों हेतु उद्यमिता का विकास किया जाना है।

प्रदेश सरकार ऐसे जैव-प्रौद्योगिकी उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगी जो उच्च निर्यात सम्भावी और पूर्ण जैव-प्रौद्योगिकी जगत के विकास का बढ़ावा देने वाले हैं। ऐसे उद्योगों को चिन्हित कर उन्हें विशेष प्रोत्साहन व सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों/नगरों की स्थापना की जायेगी। ये क्षेत्र/नगर वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं, कन्सल्टेंट्स इत्यादि को, जो इस क्षेत्र में उद्योग विकास करने के इच्छुक हैं, आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध करायेंगे।

इस क्षेत्र के विशेष महत्व के दृष्टिगत इसकी विस्तृत नीति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अलग से बनाई जा रही है।

7.5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के समग्र क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा, उद्योग का मार्ग-दर्शन, सहायता प्रदान करते हुए रोजगार के अवसरो को बढ़ावा तथा प्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना कराये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा। किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाकर उनकी आय में वृद्धि करायी जायेगी, कृषि खाद्य उपज के भण्डारण, ढुलाई, प्रसंस्करण के लिए वुनियादी सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीति समर्थन प्रोत्साहनात्मक पहल और सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फूड सेफ्टी एवं हाइजिन मानको के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित करना है।

इस क्षेत्र के विशेष महत्व के दृष्टिगत इसकी विस्तृत नीति खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अलग से बनाई जा रही है।

7.6. पर्यटन उद्योग

प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनायें है। जिसके दृष्टिगत चिन्हित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नये होटल, रिसार्ट को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं यथा-हवाई अड्डा, रोप-वेज, नाईट सफारी इत्यादि का विकास किया जायेगा।

7.7. चीनी उद्योग

इस क्षेत्र के विशेष महत्व के दृष्टिगत इसकी विस्तृत नीति चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा अलग से बनाई जा रही है।

7.8. निर्यात प्रोत्साहन

7.8.1. निर्यात आयुक्त कार्यालय का सुदृढीकरण -

- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को निर्यातकों के सहयोग एवं सूचना हेतु महत्वपूर्ण केन्द्र-बिन्दु के रूप में और अधिक सुदृढ किया जायेगा। निर्यात आयुक्त कार्यालय में पूर्णकालिक पदों का सृजन किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष कम से कम दो ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। निर्यात आयुक्त कार्यालय द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत मैनुअल तैयार किया जायेगा।
- प्रदेश से होने वाले निर्यात के ऑकड़े नियमित रूप से राज्य स्तर पर एकत्रित कर प्रकाशित किये जाएंगे तथा विभिन्न उद्योगों की राज्य स्तरीय निर्यातकों की समितियों तथा अन्य संगठनों से नियमित समन्वय रखा जायेगा।
- निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष में कम से कम एक बार वृहद स्तर पर सेमिनार/वर्कशाप आयोजित किया जायेगा। निर्यात संबंधित आवश्यक जानकारियाँ सुलभ कराने हेतु एक्सपर्ट्स/कन्सलटेन्ट्स तथा ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थानों की सेवाएं प्राप्त की जाएंगी।

- 7.8.2. निर्माताओं द्वारा भारतवर्ष के बाहर निर्यात करने हेतु एक्सपोर्ट हाउस के माध्यम से जो वस्तुएं बिक्री की जाती हैं उन पर निर्माताओं को भी इनपुट टैक्स से सेटऑफ / रिफण्ड की सुविधा का प्राविधान किया जायेगा।
- 7.8.3. विभिन्न प्रकार के उद्योगों की निर्यात प्रोत्साहन समितियों के अधिक से अधिक कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित कराने का प्रयास किया जायेगा।
- 7.8.4. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिभागी उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा परिवहन लागत व मेला क्षेत्र किराये का 50 प्रतिशत वहन किये जाने व शेष 50 प्रतिशत सम्बन्धित उद्यमी/इकाई को वहन करने की योजना जारी रहेगी।
- 7.8.5. निर्यातकों की संस्थाओं को स्थानीय व राज्य स्तर पर आयोजित बैठकों में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
- 7.8.6. निर्यात हेतु भेजे जाने वाले कस्टम सील्ड कन्साइनमेंट की चेकिंग किसी भी विभाग द्वारा परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं की जा सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर गंतव्य स्थान पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को सूचित कर ही जाँच की जाएगी। यदि कोई अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको अनिवार्य रूप से दण्डित किया जायेगा।

7.9. अनिवासी भारतीय निवेश

- 7.9.1. अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रदेश में पूँजी निवेश की असीम सम्भावनाएं हैं। अपने उद्यमिता कौशल तथा योग्यताओं के कारण, उत्तर प्रदेश मूल के भारतीयों ने, विश्व भर में ख्याति अर्जित की है। उत्तर प्रदेश व अन्य सभी अनिवासी भारतीयों को प्रदेश में निवेश करने के लिए, आकर्षित करने हेतु आकर्षक वातावरण सृजित किया जायेगा। उनके द्वारा निवेश को सरल बनाने के लिए, व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं में यथावश्यक परिवर्तन किये जाएंगे।
- 7.9.2. ऊर्जा, सड़क, सेतु तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार सीधे पूँजी निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करेगी तथा ऐसी परिस्थितियाँ सृजित करेगी ताकि उत्तर प्रदेश, भारत का श्रेष्ठ निवेश-गन्तव्य बन सके।
- 7.9.3. उत्तर प्रदेश मूल के अनिवासी भारतीयों को प्रदेश में अधिक-से-अधिक निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाएगा। यह निवेश, भूमि विकास, अवस्थापना, खनन एवं सेवा क्षेत्र में आमन्त्रित किया जाएगा।
- 7.9.4. अनिवासी भारतीयों को प्रथम चरण की सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा समन्वय प्रदान करने का कार्य उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा। उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र, नई दिल्ली को प्रवासी मंत्रालय, भारत सरकार के ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेक्टर का सदस्य भी बनाया जायेगा।

- 7.9.5.** अनिवासी भारतीयों के निवेश प्रस्तावों पर त्वरित गति से स्वीकृति, अन्नापत्तियों, लाइसेन्स आदि प्राप्त करने के लिए, विभिन्न सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करने तथा कम से कम समय में प्रस्ताव को मूर्तरूप देने के लिए एस्कोर्ट अधिकारी नामित किये जाएंगे।
- 7.9.6.** प्रदेश स्तर पर पुलिस महानिदेशक कार्यालय, उ.प्र. के अंतर्गत गठित त्वरित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित औद्योगिक व्यापारिक सुरक्षा फोरम के माध्यम से अनिवासी भारतीय नागरिकों / पी.आई.ओ. की शिकायतों का निवारण कराया जायेगा। अनिवासी भारतीयों के निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।
- 7.9.7.** अनिवासी भारतीयों द्वारा मेगा प्रोजेक्ट के निवेश प्रस्तावों पर राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी तथा मा. मंत्रिपरिषद द्वारा केस टू केस आधार पर त्वरित निर्णय लेते हुए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

7.10. बीमार इकाइयों का पुनर्वासन

प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों की बढ़ती हुई रूग्णता के कारण औद्योगीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक उद्योग की रूग्णता दूसरे उद्योगों को प्रभावित करती है। रूग्णता के मुख्य घटक, औद्योगिकी इकाइयों को सावधि ऋण भुगतान समयान्तर्गत न होना, कार्यशील पूँजी न मिलना, अनियमित विद्युत आपूर्ति तथा प्रबन्धकीय अकुशलता आदि हैं। बीमार होने के कारण इकाई अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती और घाटे में आकर बंद हो जाती है जिसके फलस्वरूप वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के विरुद्ध वसूली सुनिश्चित नहीं हो पाती है, उद्योग में लगे लोगो को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और इकाई में विनियोजित पूँजी अनुत्पादक हो जाती है। रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु राज्य सरकार सजग है जिसके लिए निम्न व्यवस्था की जा रही है :-

- 7.10.1.** मध्यम एवं वृहद उद्योगों की रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु बी.आई.एफ.आर. का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्णित पैकेज को जिन विभागों द्वारा लागू किया जाना है उनको क्रियान्वित करवाने में समयबद्धता निर्धारित की जायेगी।
- 7.10.2.** ऐसे उद्योगों को, जो मूलतः आर्थिक दृष्टि से वायबल हैं किन्तु विभिन्न कारणों से रूग्ण हो गए हैं, को पुनर्वासित व पुनर्जीवित किया जायेगा। रूग्ण इकाइयों को सरकार की वर्तमान नीतियों के अंतर्गत सुविधायें प्रदान की जाती रहेगी। स्थायी रूप से बन्द इकाइयों के लिये इक्विजिट पालिसी/प्रक्रिया को निर्धारित किया जायेगा। प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु प्रदेश स्तर पर एक संस्था नामित किया जायेगा जिसके द्वारा पुनर्वासन नीति/इक्विजिट पॉलिसी बनाई जायेगी।



क्षेत्रवार मण्डलों का विवरण



पूर्वांचल	बुन्देलखण्ड	मध्योंचल
<ul style="list-style-type: none"> • फैजाबाद • वाराणसी • इलाहाबाद • गोरखपुर • मिर्जापुर • आजमगढ़ • देवीपाटन • बस्ती 	<ul style="list-style-type: none"> • झोंसी • चित्रकूट धाम 	<ul style="list-style-type: none"> • कानपुर • लखनऊ